Impact Factor (QJIF): 8.47 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 24/March/2026 **IJRAW:** 2026; 5(5):152-157 **Accepted:** 06/May/2026

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण: प्रमुख योजनाएं, समस्या एवं समाधान के उपाय

*[1]**डॉ. विकास कुमार शर्मा**

*[1]सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान, भारत।

सारांश

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उनके जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्भरता का अधिकार प्रदान करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है. जो महिलाओं को उनकी क्षमताओं और अधिकारों का एहसास कराकर उन्हें समाज में गरिमामय और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर देती है। भारतीय संस्कृति में महिलाएं सदैव सृजन, शक्ति और सहिष्णुता का प्रतीक रही है। प्राचीन वैदिक काल में महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। वें शिक्षा, धर्म, और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाती थी। लेकिन समय के साथ सामाजिक संरचना में बदलाव आया और मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, कन्या वध, बाल विवाह और पर्दा प्रथा ने महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम, नवजागरण काल, समान अवसर, स्वतंत्र निर्णय, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक अधिकार, सशक्त समाज आदि।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता संग्राम और नवजागरण काल ने महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में नए प्रयासों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता और भेदभाव से सुरक्षा की गारंटी दी गई। इसके तहत शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से महिलाओ को सशक्त बनाने की ठोस पहल की गई। लेकिन महिला सशक्तिकरण केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरत्ता और उनके प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण के पांच स्तंभ बताए गए हैं- आत्मसम्मान, अधिकार, समान अवसर, स्वतंत्र निर्णय एवं समाज में योगदान के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया केवल महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन को बदलने तक सीमित नहीं है, अपितु इसके माध्यम से परिवार, समाज, राज्य एवं अंततोगत्वा राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते है। महिला सशक्तिकरण के बिना एक संतुलित, समृद्ध एवं सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजस्थान जैसे राज्य में भी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत व्यापक एवं ईमानदार प्रयास किए गए हैं। मेरा यह शोध आलेख भी राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की प्रमुख गतिविधियों, इस संबंध में आ रही प्रमुख समस्याओं एवं उनके यथेष्ट समाधान के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है।

शोध आलेख के अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य "राजस्थान में महिला सशक्तिकरण: प्रमुख योजनाएं, समस्या एवं समाधान के उपाय" विषय के विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से यह जानना है कि राजस्थान महिला सशक्तिकरण के संबंध में कहां तक सफल रहा।

i). महिला सशक्तिकरण के प्रमुख मुद्दों को जानना।
ii). महिला सशक्तिकरण से समाज में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों का अध्ययन करना।
iii). महिला सशक्तिकरण के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों का अध्ययन।
iv). राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के संबंध में चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन।
v). राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के कानूनी प्रावधानों को जानना एवं सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देना।

साहित्य समीक्षा

i). मानचंद्र खंडेला (2002) की पुस्तक "महिला सशक्तिकरण" में

*Corresponding Author: डॉ. विकास कुमार शर्मा

प्रमुखत महिला आयोग की उपादेयता, स्वैच्छिक संगठनों की सार्थकता, थोथी आधुनिकता, सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों की भयावता तथा सरकारी योजनाओं की उपादेयता का तार्किक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। इसके माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में तेजी से हो रहें परिवर्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे।

ii). स्वप्रिल शाश्वत एवं निशांत सिंह (2001) की पुस्तक "समाज राजनीति और महिलाएं: दशा एवं दिशा" का मानना है कि ग्रामीण समाज के सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। इसके कारण महिलाएं बंधन एवं आश्रित भाव से ग्रसित रहती है। 73वें संविधान संशोधन के कानूनी प्रावधानों के माध्यम से महिलाएं अपनी महत्वाकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं के माध्यम से किस प्रकार अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाकर समाज में अपना यथेष्ट स्थान प्राप्त कर सकती है का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

महिला सशक्तिकरण सामान्य परिचय

महिला एवं पुरुष समाज निर्माण के दो अपरिहार्य घटक एवं एक-दूसरे के पूरक है। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका घर और परिवार तक सीमित नहीं थी, अपितु वें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में भी समान भागीदार थी। प्राचीन काल में महिलाओं को न केवल पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, अपितु बहुत से क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों से श्रेष्ठ भी माना जाता था। एक तरह से वें समाज की रीढ़ मानी जाती थी और परिवार की बुनियाद उनकी बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य पर निर्भर थी। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के कठोर नियमों ने महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। महिलाओं से सामाजिक सहभागिता, शिक्षा एवं संपत्ति संबंधी निर्णय लेने के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। महिलाओं को परिवार और समाज के पुरुषों पर पूरी तरह से निर्भर बना दिया गया। कालांतर में महिलाओं के प्रति अनेक प्रकार की कुप्रथाएं एवं रूढ़िवादिता व्याप्त हो गई जैसे- बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा एवं कन्या वध जैसी कुप्रथाओं ने उनकी स्थिति को और अधिक कमजोर बना दिया गया।

आजादी के बाद भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए गए। स्वतंत्रता, समानता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के विचारों के साथ महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में बदलाव आने लगा। उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सशक्त बनाने के प्रयास किए गए। महिलाएं समाज में समान अधिकार और सम्मान प्राप्त कर सकें उसके लिए कई नीतियां और कानून बनाए गए।

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण

वीरों एवं वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान जो कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं के लिए जाना जाता है, लंबे समय तक सामाजिक और सांस्कृतिक रुढ़ियों से प्रभावित रहा। इन रूढ़ियों ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर दिया। राजस्थान में महिलाओं को लंबे समय तक शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। परंतु हाल ही के दशकों में उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव हुए हैं। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाना है। राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समूह बनाकर ऋण प्रदान किया। इन समूहों ने महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायत्ता प्रदान की।

राजस्थान के अलवर जिले में मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस पहल के तहत वाल्मीकि समुदाय की महिलाओं को खाद्य सामग्री तैयार करने जैसे सम्मानजनक कार्यों में शामिल किया गया। इस प्रयास ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा बल्कि समाज में उनके प्रति सम्मान को भी बढ़ाया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान किए। वर्ष 1997 से 2000 के बीच पंचायती राज अधिनियम के तहत "दो से अधिक बच्चों वाले प्रतिनिधियों" को अयोग्य घोषित किया गया। इस सशक्त प्रावधान के कारण 500 से अधिक जनप्रतिनिधि अपनी सदस्यता खो बैठें। यह कदम परिवार नियोजन और छोटे परिवारों की अवधारणा को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के स्वास्थ्य, जीवन स्तर एवं जीवन प्रत्याशा आयु में व्यापक सुधार हुआ। इसी के परिणामस्वरूप वर्तमान में राजस्थान की महिलाएं शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। महिला सशक्तिकरण ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने, स्व-निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त करने और समाज में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। यह स्पष्ट है कि सशक्त महिलाएं न केवल अपने परिवार अपितु सम्पूर्ण समाज और राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाती हैं। राजस्थान में किए गए महिला सशक्तिकरण के ये प्रयास एक सकारात्मक संदेश देते हैं और समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को हम चार आयामों में विभाजित कर सकते हैं जैसे-

1. सामाजिक भागीदारी

महिलाएं ही होती हैं जो समाज की सांस्कृतिक परंपराओं एवं मूल्यों पीढ़ी दर पीढ़ी एक-दूसरे में हस्तांतरित करती रहती है। यह कहा भी जाता है कि सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला होती है। परिवार में मां ही बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, जो उसके सर्वांगीण विकास का आधार तैयार करती है। महिलाओं का समर्पण भाव, सृजनशीलता, करुणा एवं सहिष्णुता का विचार समाज निर्माण में अद्वितीय भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में वैदिक काल में मैत्री, गार्गी, घोषा एवं लोपामुद्रा जैसी आदर्श नारियों से लेकर आधुनिक काल की सावित्रीबाई फुले, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा जैसी अनेकों महिलाओं ने अपना सशक्त सामाजिक योगदान प्रदान किया है।

2. आर्थिक भूमिका

महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना भी बहुत आवश्यक है। वर्तमान में महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल सार्वजनिक क्षेत्र में अपितु निजी क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। वें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की रोजगार एवं स्वरोजगार संबंधित योजनाओं का लाभ उठाकर अपने आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना रही है। यहीं कारण है कि वें आज खेती-बाड़ी, पशुपालन, डेयरी सहित, उद्योग, व्यापार, आईटी क्षेत्र एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रही है।

3. राजनीतिक सक्रियता

राजनीतिक क्षेत्र वह माध्यम है जिसमें महिलाओं की सक्रियता से एक साथ लाखों महिलाओं का जीवन बदला जा सकता है। भारत में राजनीतिक पृष्ठभूमि का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष सहित शायद ही कोई ऐसा बड़ा पद बचा हो जिस पर महिलाएं सुशोभित नहीं हुई हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत महिलाओं के लिए पंचायत राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं, जिसे राजस्थान सरकार ने वर्ष 2008 में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं महिला सशक्तिकरण अधिनियम 128वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत संसद एवं विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पारित किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था में दिए गए महिला आरक्षण से महिला सशक्तिकरण तो हुआ ही है, साथ ही उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका में अकल्पनीय सक्रियता बड़ी है।

4. शैक्षणिक उन्नयन

कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की सफलता, समृद्धि, सक्रियता एवं सशक्तिकरण का मार्ग अच्छी शिक्षा से होकर गुजरता है। जब एक पुरुष पढ़ता है, तो केवल वहीं पढ़ता है लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है, तो संपूर्ण समाज शिक्षित होता है। शिक्षा से वंचित महिलाएं जल्दी विवाह के कारण पारिवारिक ग्रस्त जीवन के चक्रव्यूह में फंस जाती है। यदि हम महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के समान सहभागी बनाना चाहते हैं, तो हमें उनके शिक्षा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करना होगा। क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो एक साथ गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, उत्पीड़न, हत्या एवं आत्महत्या जैसी कई बीमारियों का इलाज करती है।

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की प्रमुख नीतियां एवं कार्यक्रम-

किसी भी प्रकार की योजना या कार्यक्रम महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उसे सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू की जाती है। लेकिन इन योजनाओं का मूल्यांकन हम केवल सतही भौतिक आधार पर नहीं कर सकते अपितु हमें उनके गुणात्मक परिणामों को भी केंद्रित रखना होगा। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। यदि हम व्यापक दृष्टि से देखे तो इसका दूरगामी उद्देश्य महिलाओं को मान सम्मान दिलाना, उनको स्तरीय जीवन की सुविधा मुहैया करवाना एवं उनमें नेतृत्व कुशलता विकसित करना भी है। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जा रहे हैं।

1. अमृता हाट बाजार

राजस्थान में अमृता हाट बाजार की शुरुआत वर्ष 2004-2005 में की गई जो महिलाओं को अपने हस्त निर्मित उत्पादों एवं अन्य उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करते हैं। साथ ही उन्हें बाजार की मांग को समझने, विपणन कौशल एवं व्यापार नेटवर्किंग का भी अवसर प्रदान करता है। प्रारंभ में इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी जो अब राज्य एवं संभाग स्तर से ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुकी है। इस प्रकार के हॉट बाजार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को समान भागीदारी का अवसर प्राप्त है। इन हाट बाजारों के अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों (इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर- IITF) शिल्पग्राम उत्सव, विभागीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया जाता है। अमृता हाट बाजार महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम रहा है।

2. इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

यह योजनाएं वर्ष 2019-20 में शुरू की गई, जो महिलाओं एवं महिला सहायता समूहों को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इसके तहत महिलाओं को अपने लिए उद्योगों की स्थापना, उनका विस्तार करने, उनमें विविधिकरण एवं उनका आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बैंकों से अनुदान एवं उद्योग ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह को 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सामूहिक रोजगार उद्यम, क्लस्टर या फेडरेशन के लिए यह राशि एक करोड रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इस योजना में ऋण अनुदान की दर 25 प्रतिशत है लेकिन इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, परित्यक्ता, घरेलू हिंसा पीड़ित एवं दिव्यांग महिलाओं के मामलों में ऋण अनुदान की दर बढ़ाकर 30 प्रतिशत की गई है। यह योजना न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है अपितु उनको उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इस योजना के तहत अब तक 2769 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए, जिसके तहत बैंकों द्वारा 17391 लाख रुपए का ऋण स्वीकृति किया गया।

3. इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन

महिलाओं के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए वर्ष 2019-20 में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं, जैसे-

a) आरएस-सीआईटी प्रशिक्षण: सूचना प्रौद्योगिकीय के

डिजिटल साक्षरता के दौर में महिलाओं को कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी उपलब्ध करवाने एवं उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) के माध्यम से आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्ष बनाना एवं उन्हें आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल का अवसर प्रदान करना है। इस कोर्स के माध्यम से महिलाओं को बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट उपयोग, डिजिटल संचार एवं अन्य तकनीकी कुशलता में निपुण बनाया जाता है।

b) **आरएस-सीएफए प्रशिक्षण:** राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में RS-CFA (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग) प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को वित्तीय लेखांकन में सक्षम बनाना है। यह प्रशिक्षण महिलाओं को राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की विशेष जानकारी प्रदान की जाती है। इसके तहत वर्ष 2021-22 में 5201 महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, वर्ष 2022-23 में यह संख्या 4955 रही, वहीं वर्ष 2023-24 में यह संख्या 5042 हो गई। राजस्थान सरकार की यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत कारगर साबित हुई है।

c) **इंग्लिश स्पोकन एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण:** राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) के माध्यम से महिलाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अंग्रेजी बोलने एवं उनको अपने व्यक्तित्व विकास को निखारने के बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाना है। इस प्रशिक्षण में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संवाद कौशल, आत्म प्रस्तुति, साक्षात्कार की तैयारी एवं प्रभावी संचार पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 3308 महिलाओं एवं बालिकाओं, वर्ष 2022-23 में 3511 को, वहीं वर्ष 2023-24 में 3447 को प्रशिक्षण दिया गया।

d) **कौशल समृद्धि योजना:** राजस्थान सरकार द्वारा कौशल समृद्धि योजना वर्ष 2019-20 में महिलाओं एवं बालिकाओं को कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। जहां कौशल समृद्धी योजना के तहत वर्ष 2021-22 में विभिन्न ट्रेडों में 4840 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, वर्ष 2022-23 में 12257 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, वहीं वर्ष 2023-24 में 5000 महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

e) **शिक्षा सेतु योजना:** राजस्थान की शिक्षा सेतु योजना वर्ष 2019-20 में विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुकी बालिकाओं एवं औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रारंभ की गई है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा से वंचित रही बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 57714 को, वर्ष 2022-23 में 68411को एवं वर्ष 2023-24 में 55000 महिलाओं एवं बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। वहीं लगभग 77606 महिलाओं एवं बालिकाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलों के माध्यम से नामांकित किया जा चुका है।

4. धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र

राजस्थान में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2012-13 में "धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्रों" की स्थापना की गई। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक मंच प्रदान करना तथा उनमें स्वरोजगार के अवसर एवं उनमें कौशल उन्नयन के अवसर को बढ़ावा देना है। यह योजना न केवल महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक है बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी योगदान दे रही है। इसके तहत अब तक राज्य में कुल 81 धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्रों का निर्माण किया जा चुका है।

5. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना

राजस्थान में इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी, 2015 को की गई और 8 मार्च, 2018 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसे राजस्थान के झुंझुनू जिले से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की घटती जन्म दर को सुधारकर, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा समाज में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। राजस्थान महिला अधिकारिता विभाग द्वारा इन योजनाओं को ग्राम सभाओं के एजेंडे में अनिवार्य रूप से जोड़ा गया ताकि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सकें। ग्राम पंचायतों में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए "कन्या वाटिका" विकसित करने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बालिकाओं के जन्मोत्सव को मनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी निहित है। राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए विवाह के समय "आठवां फेरा" लेने की प्रक्रिया को अपनाया गया है। साथ ही "प्रशासन गांवों के संग" एवं "प्रशासन शहरों के संग" अभियानों में भी बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाए गए।

6. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना- 2021-

राजस्थान सरकार ने विवाह के समय परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को मध्य नजर रखते हुए वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को विवाह समारोह के आयोजन में सहायता प्रदान करना तथा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करके अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह के तहत प्रत्येक जोड़े को दी जाने वाली सहायता राशि को 18000 से बढ़ाकर ₹25000 किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाजों, जातियों एवं धर्मों के सामूहिक विवाह समारोह को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम 25 जोड़ों के विवाह आयोजन पर आयोजकों को 10 लाख रुपए प्रति आयोजन अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल कम खर्चे में सामूहिक विवाह का आयोजन करती हैं अपितु समाज में एकता एवं समानता की भावना को भी बढ़ावा देती है।

7. मुख्यमंत्री राजश्री योजना

इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से लागू किया गया। जिसके तहत 1 जून, 2016 या उसके बाद पैदा होने वाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत लाभार्थी बालिका को विभिन्न चरणों में कुल ₹50000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि उनके

विकास एवं शिक्षा में कोई बाधा नहीं आ सकें। इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक लगभग 35 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

8. इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना
इसके तहत राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई है ताकि वहां महिलाओं एवं बालिकाओं की मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार की समस्याओं का निदान किया जा सकें। इन केंद्रों पर "मेरी हेल्पलाइन" नामक दूरभाष सेवा के माध्यम से महिला काउंसलर्स द्वारा ही महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

9. आईएम शक्ति उड़ान योजना
राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय व महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 19 दिसंबर, 2021 को किशोरियों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "आईएम शक्ति उड़ान योजना" की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों को महावारी से संबंधित स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, उन्हें सेनेटरी नेपकिन वितरित करना एवं उनके प्रति महावारी से जुड़ी हुई वर्जनाओं को समाप्त करना है। इस योजना के तहत राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन एवं राजीवीका द्वारा आवश्यकता के अनुसार सेनेटरी नेपकिन्स का क्रय किया जाता है एवं उन्हें राज्य के आंगनवाडी केंद्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से वितरित किया जाता हैं।

10. राजस्थान महिला नीति 2021
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2020-21 की अपनी बजट घोषणा के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा एवं मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए राजस्थान राज्य महिला नीति- 2021 को लागू किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास के लिए ठोस कदम उठाकर उनकी स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 कार्यकारी समुह गठित किए गए। प्रत्येक समूह अपने नोडल विभाग के साथ मिलकर लघु (0-3 वर्ष), मध्यम (4-5 वर्ष) एवं दीर्घकालिक (6-10 वर्ष) लक्ष्य को निर्धारित कर अपनी कार्य योजना बनाएगा। इस कार्य योजना में विभिन्न क्रियान्वयन बिंदुओं एवं प्रगति मानकों को भी शामिल किया गया ताकि नीतिगत उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकें।

महिला सशक्तिकरण हेतु सुरक्षा एवं पुनर्वास के उपाय
1. वन स्टॉप सेंटर या सखी केंद्र
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में वन स्टॉप सेंटर योजना जिसे सखी केंद्र के नाम से भी जाना जाता है शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सातों दिन 24 घंटे निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को चिकित्सकीय सेवाएं, पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग एवं अस्थाई आश्रय जैसी बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में संचालित हैं, जिनमें महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं हिंसा के प्रभाव से उभारने में सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। यह योजना न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है, अपितु उनके कल्याण की दिशा में भी अनुकरणीय प्रयास को बढ़ावा दे रही है।

2. महिला हेल्पलाइन 181
राजस्थान में महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न से बचाने तथा उन्हें समुचित संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महिला हेल्पलाइन 181 की शुरुआत की गई है। यह हेल्पलाइन जिला कलेक्टर जयपुर के तहत सातों दिन 24 घंटे संचालित होती है। इसका उद्देश्य हिंसा एवं उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध करवाकर समाधान करना है। इस हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभाग को तुरंत रेफर कर दिया जाता है एवं फोरन इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। महिला हेल्पलाइन के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 5689 मामलों में, वर्ष 2021-22 में 8649 मामलों में, वर्ष 2022-23 में 8079 मामलों में तथा वर्ष 2023-24 में 7440 मामलों में महिलाओं को राहत पहुंचाने का कार्य किया गया।

3. महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र
महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र योजना का उद्देश्य सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर हिंसा से पीड़ित या व्यथित महिलाओं को उपयुक्त मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाना है। ताकि उन्हें हिंसक वातावरण से संरक्षण मिल सके एवं वें आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना 2010 के तहत क्रियान्वित की गई। इसके अंतर्गत राज्य के 21 पुलिस जिलों एवं 205 पुलिस सर्किलों पर चयनित गैर-शासकीय संस्थाओं के माध्यम से महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालित किया जा रहे हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, कानूनी एवं सामाजिक सहायता प्रदान करना है ताकि वें हिंसा के प्रभाव से उभरकर ससम्मान जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 5898 महिलाओं को, वर्ष 2021-22 में 7845 महिलाओं को, वर्ष 2023-24 में 9089 महिलाओं को एवं वर्ष 2023-24 में 9337 महिलाओं को सहायता पहुंचाई गई।

4. त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति
राजस्थान सरकार ने संगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं उनकी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए "त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति" का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक संरक्षित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना है ताकि वह अपनी समस्याओं को आसानी से बता सकें एवं उनका समाधान प्राप्त कर सकें। यह त्रि-स्तरीय समिति तीन स्तर पर कार्य करती है, संभाग स्तर पर इसका नेतृत्व संभागीय आयुक्त, जिला स्तर पर इसका नेतृत्व जिला कलेक्टर एवं उपखंड स्तर पर इसका नेतृत्व उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इस समिति में विभिन्न विभागों के अध्यक्षों जैसे- पुलिस, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, न्याय विभाग, चिकित्सा एवं सामाजिक न्याय विभाग के विशेषज्ञ, मनोनीत सदस्य, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इस समिति द्वारा किया गया कार्य राजस्थान सरकार की महिलाओं के कल्याण एवं उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजस्थान में महिलाओं के कानूनी संरक्षण संबंधित प्रावधान
1. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम- 2005
राजस्थान में यह अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 से प्रभावित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके घरों में सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक एवं यौन उत्पीड़न सहित अन्य सभी प्रकार की घरेलू हिंसा के मामलों में संरक्षण प्रदान कर न्याय दिलाने का प्रयास करता है। राजस्थान में इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिला उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, प्रचेताओं को

संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के सभी जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, डिस्पेंसरी, सैटेलाइट अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं मुख्य स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में संसुचित किया गया है।

2. कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम- 2013

भारत सरकार ने "महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013" लागू किया। जिसके तहत प्रत्येक नियोक्ता को ऐसे कार्यालयों पर जहां 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन करना अनिवार्य है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत सभी जिलों में स्थानीय समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही सरकारी, निजी कार्यालयों एवं असंगठित क्षेत्र में भी आंतरिक शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है ताकि महिलाओं को कार्य स्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण मिल सकें।

3. राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम- 2015

राजस्थान सरकार ने महिलाओं के साथ डायन प्रताड़ना जैसी अमानवीय, असामाजिक एवं अपमानजनक प्रथाओं को समाप्त करने एवं उसके संबंध में संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से "राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम- 2015" को लागू किया। यह अधिनियम 17 अगस्त, 2015 से प्रभावी हुआ जिसके तहत किसी महिला को डायन कहकर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने या उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा करने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम न केवल पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान कर रहा है अपितु समाज में डायन प्रताड़ना की प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास भी कर रहा है।

महिला सशक्तिकरण प्रमुख सुझाव

i). महिला सशक्तिकरण केवल सरकारी योजनाओं एवं नीतियों तक की सीमित नहीं है बल्कि इसके लिए हमें दृढ़ता से समाज में लोगों की मानसिकता को बदलने का काम करना होगा।
ii). इसके लिए महिलाओं की शिक्षा का विस्तार करना, उनकी सभी मामलों में पुरुषों के समान भागीदारी बढ़ाना एवं उन्हें समान अवसर देने की आवश्यकता है।
iii). महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाना होगा।
iv). किसी भी प्रकार का महिला संरक्षण संबंधित कार्य बिना सशक्त कानूनी प्रावधानों के संभव नहीं है। महिलाओं के संबंध में जो कानूनी प्रावधान तय किए गए हैं उन्हें समय पर शक्ति से लागू करना महत्ती आवश्यकता है।
v). महिला सशक्तिकरण की एक अन्य प्रबल आवश्यकता उनके लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना तथा उन्हें त्वरित रूप से चिकित्सकीय मामलों में सहायता पहुंचाने का रोड मैप तैयार करना है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में लड़कियों के जन्म पर 1 लाख रुपये के बॉन्ड दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस योजना के एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी भी प्रत्यक्ष लाभ के रूप में हस्तांतरित की गई। भजन लाल सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500 कर दिया गया है। इह सम्मेलन के दौरान 70,000 महिलाओं को ₹1,500 की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई। इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग एक लाख नई "लखपति दीदियों" और 216 "नमो ड्रोन दीदियों" को सम्मानित किया, साथ ही श्री शर्मा ने पांच लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए "राज सखी" पोर्टल भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव अवसर प्रदान करेगी ताकि वें अपने सपनों को साकार कर सकें।

संदर्भ सूची

1. सक्सेना, के.एस. (1999), वूमेन पॉलीटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया, गुड लाइव पब्लिकेशन, जयपुर।
2. खंडेला, मानचंद्रक्ष (2002), महिला सशक्तिकरण, अरिहंत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. शाश्वत, स्वप्रिल एवं सिंह, निशांत (2004), समाज राजनीति और महिलाएं : दशा एवं दिशा, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पेज- 232
4. राठौर, मधु (2002), पंचायत राज और महिला विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
5. कुमार, अर्चना (2023), वुमन एंपावरमेंट इंडिया : प्रोग्रेस इन चैलेंजर्स, रूटलेज पब्लिशिंग, लंदन।
6. कुमार, संतोष (2020), पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण, इंटरनेशनल जर्नल आफ पॉलीटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, 2(2), पेज- 25-29
7. अरोडा, शशि (1981), राजस्थान में नारी की स्थिति, तरूण प्रकाशन, बीकानेर, पेज- 38
8. देशाई, नीरज (2002) वूमेन इन इण्डियन सोसाइटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पेज-163
9. त्रिपाठी, रेणु (2008), महिला सशक्तिकरण वायदे और हकीकत, रोहित पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पेज- 21-22
10. वोहरा, आशा रानी (1983), भारतीय नारी दशा और दिशा नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पेज-18
11. शिमट आर., आर्टिकल ऑफ लीडरशिप इन दी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज, ए वोल्यूम 2002, पेज- 82
12. सिद्ध, सीमा (2008), पंचायती राज और महिला सशक्तीकरण प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पेज- 28-32